आदि के कारण सीमेंट उद्योग के सामने आ रही वित्तीय समस्याओं के बारे में सीमेंट निर्माता संघ के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) कुछ चयनित केन्द्रों में फरवरी, 1990 के दौरान सीमेंट के मूल्य पिछले महीने के मूल्यों की तुलना में अधिक थे। चार महानगरों में फरवरी, 1989 से फरवरी, 1990 तक सीमेंट के मूल्यों का एक विवरण अनुबंध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 153, अनुबंध सं० 68]

सीमेंट उद्योग की हालत में सुधार करने तथा सीमेंट का उत्पादन अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उर्जा बचत उपकरण लगाने, आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए योजनाएं आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्य के लिए, जहां आवश्यक होता है, प्रौद्योगिकी तथा पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाती है।

(2) सीमेंट उद्योग को पर्याप्त कैप्टिव पावर जेनरेटिंग क्षमता स्थापित करने की सलाह दी गयी है। जो डीजल जेनरेटिंग सैट स्वदेश में उपलब्ध नहीं हैं, इस कार्य के लिए उनका आयात करने की अनुमति है।

(3) 1-3-1989 से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिया गया है। आशा है कि इस उपाय से सीमेंट उद्योग के विकास में तेजी आयेगी।

(4) प्रोजेक्टेड लघु एककों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है। यह छूट 31-3-90 तक वैध है। कुछ विनिर्दिष्ट क्षमता वाले बहुत छोटे सीमेंट संयंत्रों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पाद शुल्क सामान्य प्रभावी दर से 100 रुपये प्रति मी० टन कम कर दिया गया है।

(5) विभिन्न निविष्टियों, जैसे कि कोयला, बिजली और माल डिब्बों की उपलब्धता के मामले को राज्य बिजली बोर्ड, रेल मंत्रालय, कोयला विभाग, कोयला संगठन आदि जैसे संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाकर सहायता देने के लिए विशेष प्रयत्न, सीमेंट उद्योग द्वारा सीमेंट के उत्पादन की कड़ी निगरानी की जाती है।

कतिपय संस्थाओं द्वारा एच० बी० जे० गैस का न उठाया जाना

1595. **श्री रामनरेश यादव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ध्यान 8 मार्च 1990 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' समाचार पत्र के "नो लिफ्टिंग आफ एच०बी०जे० गैस से इनवाइट पैनलटीज" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कतिपय संस्थाओं को आवंटित गैस का उनके द्वारा सही समय के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्यों क्या है तथा सरकार द्वारा इस विषय में की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एच०बी०जे० पाइपलाइन के साथ अवस्थित बक्करवाला और शाहजहांपुर में स्थापित किये जाने वाले गैस पर आधारित तीन उर्वरक संयंत्र

अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। पहले इन संयंत्रों के 1988-89 में पूरे होने की आशा थी। गैस की आपूर्ति के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लि० के साथ चार सप्ताह की अवधि के करार पर हस्ताक्षर करने के लिए इन तीनों कम्पनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। प्रस्तावित करार में अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम गैस उठाने के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। एच०बी०जे० पाइपलाइन के साथ लगाए गए तीन बिजली संयंत्र भी वचनबद्ध स्तर से कम मात्रा में गैस उठा रहे हैं। इसके अलावा इन संयंत्रों द्वारा उठाई जा रही गैस की मात्रा में भारी उतार-चढ़ाव होता है। यह प्रस्ताव रखा गया है कि बिजली संयंत्रों के लिए भी न्यूनतम मात्रा तक गैस उठाने की गारंटी रखी जाए।

उत्तर प्रदेश के औरैया में गैस आधारित परियोजना की प्रतिस्थापित क्षमता

1596. **श्री राम नरेश यादव:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में औरैया में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस विदेशी कम्पनी का नाम क्या है, जिसके सहयोग से इस परियोजना का निर्माण किया गया है तथा इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस परियोजना की कुल प्रतिस्थापित उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) क्या इस परियोजना की प्रतिस्थापित क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है और यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत प्रतिस्थापित क्षमता का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है तथा परियोजना की प्रतिस्थापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान): (क) जी, हां।

(ख) औरैया गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए मुख्य संयंत्र उपस्कर पैकेज मैसर्स मित्सुबिसी हैवी इन्डस्ट्रीज, जापान द्वारा आपूर्त किए गए हैं। परियोजना पर अब तक लगभग 526 करोड़ रु० की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) परियोजना की कुल क्षमता 652 मैगावाट होगी जिसमें से 550 मेगावाट की क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है।

(घ) अंशतः इस वास्तविकता के कारण कि यह संयंत्र अभी अपनी स्थिरीकरण की अवस्था में है तथा अंशतः अन्य कारणों यथा प्रणाली मांग का अभाव और कुछ उपस्करों के कार्यकरण में समस्याओं की वजह से इस संयंत्र का पूरे भार पर प्रचालन किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

Double Ciruit Line from Chandrapur to Ramagundam

1597. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for a 400 KV double circuit line from Chandrapur to Ramagundam; if so, what are the details thereof; and

(b) what is the expected date of its completion?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIA-